फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा (मु0माल) मु0न0 28 सन 2011

विक्रमजीत उर्फ विक्रम बनाम साहबराम आदि

प्रकरण **अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

2015	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। दिनांक 11–8–2015 को उभय पक्षों की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर आधारित थी। उन्होनें अपनी बहस में तर्क दिया कि चक 10 एमएल के मु0न012 के कि0न01ता25 में प्रार्थी का 1.302 हैक्टयर हिस्सा बनता हैं उस पर काबिज हैं। वादपत्र 53–88 राज0काश्त0अधि0 का पेश किया हुआ हैं। प्रार्थी का प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मूल वाद में जबाब स्टेट के पश्चात तनकीयात कायम होने पर साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तैय होगा। अप्रार्थीगण भूमि का रहन–बैय व अन्य तरीके से बेचान कर देता हैं तो हमें ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 3–2–2011 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें। प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/7हिस्सा खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी स्वीकार हैं। प्रतिवादी स0 4से 6 ने मौखिक रुप से अपने हक का त्याग प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण स03 के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर कर दिया है। प्रार्थी का प्रथम द्वष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर सुविधा का सन्तलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं हे।। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। हमने दोनों पक्षों द्वारा समायत बहस पर मनन किया एंव प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी का विवादास्पद भूमि हिस्सा व कब्जा हैं प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर ना ही सुविधा सन्तुलन पक्ष में हैं। मौके व रिकर्ड की यथास्थिति बनाई रखने में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई अपूरर्णीय क्षति भी कारित नहीं होती है।तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।यह मूल प्रकरण में स्टेट जबाब आने के पश्चात तनकीयात कायम होने के पश्चात साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तैय किया जायेगा। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः विवादास्पद भूमि चक 10 एमएल के मु0न012 कि0न01ता25 में से 1/4हिस्सा भूमि को मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण किसी प्रकार से रहन बैय नहीं करेगें तथा रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे। आदेश सुनाया गया। (कैलाशचन्द्र शर्मा) उपखण्ड अधिकारी श्री गंगानगर

के द्वारा अलग अलग हिस्सा परित्याग करने के बाद प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का